

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत S.D.O मुकाम बरीसाद
श्रीगणेश लाल बनाम पुष्पराज
 किस्म मुकदमा 8.8 R.T. Act नं. 104 F 18 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>18-6-18</p>	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>रविप्रताप</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>8.8</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>श्रीगणेश लाल पुष्पराज vs पुष्पराज / गणेश लाल कृष्ण गौजा नवम्बर 2021-24 (का. नं. 10/06 वी प्रत्यक्ष के सफल वातेष में 5th अपील)</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>नवम्बर वि. नं. 642/422</u> <u>1.25 हे. लान 8.65 ग. वि. प्रत्यक्ष का. 192</u> <u>प्रत्यक्ष का. 1/3. 1/3 हिस्सा एकाध भाग</u> <u>वादी के पास में पड़े</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
 बड़ीसादड़ी (राज.)

